पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 153/2017

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्रवण कुमार पुत्र श्री रतीराम जाति कुम्हार उम्र 33 वर्ष निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....वादी

बनाम

1. रतीराम पुत्र श्री ईशर राम जाति कुम्हार निवाी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)

1/1 केसरी देवी पुत्री श्री रत्तीराम
1/2 प्रमिला देवी पुत्री श्री रतीराम
} जाति कुम्हार निवासी 11 एल एनपी ख्यालीवाला श्रीगंगानगर

2. आदराम
3. बलराम
4. मदन लाल
} पिसरान रतीराम जाति कुम्हार निवासीयान ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

5. गोल्डन बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, श्रीगंगानगर जरिये सांझेदार दुर्गा प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामकुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी 4 एच एच महिंयावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नाई (वादी)
अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी प्रतिवादी 3
अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी प्रतिवादी 1/1,1/2, 4
अधिवक्ता श्री मोहन लाल छाबडा प्रतिवादी 2
प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध दिनांक 13.11.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
पैरोकार राज (प्रति.–6)

– निर्णय –

दिनांक 12 मार्च, 2020

वादपत्र के अनुसार वादी के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता ईशर राम पुत्र लेखराम के नाम वाके चक 1 1 एल एन पी के मु. नं. 48 के किला नं. 1 ता 4 सालम, किला नं. 6 में 15 बिस्वा, 7 ता 10 सालम, 11 ता 14 प्रत्येक में 18 बिस्वा, किला नं. 15 में 15 बिस्वा, 16 में 2 बिस्वा कुल 13 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि थी। वादी के दादा ईशर राम पुत्र लेखराम उक्त भूमि के खातेदार कृषक थे। ईशर राम के आठ लड़के व 2 लड़कियां थी। ईशर राम ने अपने जीवन काल में इस भूमि के अलावा तहसील हनुमानगढ़ में चक 30 एस एल डब्ल्यू. व चक 6 एल एन पी में भी इस भूमि की आमदन से भूमि खरीद की थी। ईशर राम की मृत्यु के बाद ईशर राम द्वारा बंटवारा अनुसार व राजस्व न्यायालय के बंटवारा आदेश से उक्त भूमि ईशर राम के वारिसान को प्राप्त हुई। ईशर राम की मृत्यु के बाद उनकी चक 11 एल एन पी की भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को मु. नं. 48 के किला नं. 1 सालम, किला न.6/3 में 0.05 1 है., किला नं. 7 सालम, किला नं. 14/2 की 0.070 है, मुमकिन रास्ता व नहरी व किला नं 15/2 की 0.114 है. नहरी गैर मुमकिन रास्ता कुल 7410 है. भूमि प्राप्त हुई। ईशर राम की शेष भूमि ईशर राम के अन्य वारिसान को प्राप्त हुई। वादी के पिता के परिवार को प्राप्त हुई भूमि में वर्तमान में खाता संख्या 68/64 वादी के पिता के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड कागजात माल है। वादी के पिता को उक्त भूमि उनके दादा ईशर राम से प्राप्त हुई है और यह भूमि वादी के पिता के पिता के नाम पैतृक सम्पत्ति के रूप में दर्ज है। वादी का इस पैतृक सम्पत्ति में जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रतिवादी 1 रतीराम पुत्र ईशर राम के नाम मु. नं. 48 की 0.7410 है. भूमि पैतृक सम्पत्ति के रूप में

(राजस्व)

दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 इस भूमि के संयुक्त रूप से खातेदार है और संयुक्त रूप से काश्त करते है और वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिस्सा बराबर उक्त भूमि के खातेदार कृषक है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने उक्त भूमि के किला नं. 6 में रिहायशी ढाणी बना रखी है और इस ढाणी में वादी की रिहायश है। प्रतिवादी संख्या 1 की वर्तमान में उम्र 76 वर्ष है। प्रतिवादी संख्या 2ता 4 वादी के भाई है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के प्रभाव में है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी से रंजिश रखते है और वादी को उक्त पैतृक भूमि से वंचित रखना चाहते है और प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त भूमि विक्रय करवाकर अपने नाम अन्य भूमि क्रय करने की कोशिश में लग गये थे, जबकि प्रतिवादी को उक्त पैतृक भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं है। प्रति.सं. 2 ता 4 अकेलों द्वारा प्रति.सं. 1 के नाम की भूमि विक्रय की योजना बनाने व वादी को उक्त भूमि से महरूम करने पर वादी ने उक्त कुल भूमि में अधिकारों की घोषणा व विभाजन का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 170/16 पर पंजीकृत हुआ और इस वाद में दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। प्रति. सं. 1 ता 4 उक्त वाद में हाजिर आये और प्रति. संख्या 1 ता 4 ने वादी के साथ राजीनामा कर लिया और वादी का कुल भूमि में चौथा हिस्सा स्वीकार कर लिया और वादी को 63,00,000/– रूपये नगद व दो दुकानों की मलकियती अधिकार देने का इकरार प्रति. सं. 1 ता 4 ने किया और इस संबध में प्रति. सं. 1 ता 4 की ओर से प्रति. सं. 1 रतीराम ने इकरारनामा वाहमी समझौता वादी के पक्ष में बरोबरू गवाहान दिनांक 11.10.2016 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया और कुल वाद ग्रस्त भूमि में वादी के चौथा हिस्सा को स्वीकार कर चौथा हिस्सा सहित विक्रय करने की वादी की सहमति मानी। इस संबंध में वादी ने 500/– रूपये के स्टाम्प पर दस्तावेज ईकरारनामा बाबत बेवाकी दिनांक 11.10.2016 को बरोबरू गवाहान निष्पादित कर और दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2016 को वापिस ले लेने का कहा। वादी ने दिनांक 13.10.16 को दावा वा स्थगन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की अनुमति से उक्त प्रकरण में राजीनामा हो जाने से वापिस ले लिया। प्रतिवादी ने कुल भूमि प्रति.सं. 5 को विक्रय करने का इकरार कर उक्त राजीनामा अनुसार वादी की हकरसी करनी थी, परन्तु प्रतिवादी सख्या 1 ने वादी की बनी ढाणी सहित किला नं. 6/3 में .0.051 है., किला नं. 14/2 में 0.070 किला नं. 15/2 की 0.114 हैक्टेयर कुल 0.2 3 5 हैक्टेयर की भूमि का बैयनामा प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में करवा दिया और वादी को केवल आठ लाख रूपये की राशि ही दी और राजीनामा अनुसार शेष राशि व दुकान नहीं दी और प्रतिवादी संख्या 5 ने कुल भूमि का बैनामा नहीं करवाया। वादी द्वारा शेष राशि अदा करने व दुकान का बैयनामा करवाने का कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 5 ने गोल्डन सुपर मार्केट में भूखण्ड सं. 14 व 15 का बैयनामा वादी के हक में दिनांक 31.05.17 को करवा देया, परन्तु शेष नगद राशि का भुगतान नहीं किया, क्योंकि प्रति सं. 5 द्वारा शेष भूमि किला नं. 4 व 7 का बैयनामा नहीं करवाने से वादी के साथ हुए राजीनामा की पूर्ण पालना नहीं हुई और शेष भूमि में वादी का प्रति. सं. 1 ता 4 की स्वीकृति अनुसार व कानूनन चौथा हिस्सा कायम है, परन्तु प्रति. सं. 1 ता 4 इस चौथे हिस्से से आनाकानी कर रहे है। किला नं. 6 में वादी की रिहायशी हाणी बनी हुई है जिसमें वादी की रिहायश है और इसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विद्युत कनैक्शन लिया हुआ है जो आज भी विद्यत कनैक्शन चालू है। किला नं. 1 4 में टाटा डोकोमो कम्पनी का मोबाईल टावर लगा हुआ है। वादी के खातेदारी में जाने से वादी की रिहायशी ढाणी के दो कमरे पति.सं. 5 ने बिना अधिकार तोड़ दिये है, जबकि बैयनामा से ढाणी व टावर को विक्रय ही नहीं किया था। ऐसी सूरत में वादी प्रति सं. 5 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रति. सं. 5 वादी को किला नं. 6 में बनी रिहायशी ढाणी से बेदखल करने से निषेध रहे। प्रतिवादी सं. 5 ने रिहायशी ढाणी व टावर के तथ्यों को छुपाकर किला नं. 6 व 15 की कुछ भूमि का रूपान्तरण भी करवा लिया है, जमाबन्दी नकल संलग्न वाट पत्र है। वादग्रस्त भूमि पैतृक प्रकृति है। वाद ग्रस्त भूमि काफी कीमतन व उपजाऊ है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी सं. 1 से वादग्रस्त शेष भूमि बिकवा कर अपने नाम भूमि क्रय करने की कोशिश में है और वादी के साथ पूर्व में हुए राजीनामा की खिलाफवर्जी करते हुए भूमि विक्रय करने की कोशिश में है जबकि वादी के साथ हुए राजीनामा की पूर्ण पालना नहीं हुई है और वादी का शेष भूमि में हक व अधिकार कायम है, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सूरत में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश इस आशय का पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के किसी भाग को रहन, बैय व अन्य

तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादग्रस्त भूमि में वादी का चौथा हिस्सा स्वीकार कर चौथे हिस्से का कब्जा भूमि वादी को देने का कई बार कहा, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने राजीनामा में चौथा हिस्सा मान भी लिया, परन्तु शेष भूमि चौथी हिस्सा देने में आनाकानी कर रहे हैं और चौथा हिस्सा देने में आजकल करते रहे व कल दिनांक 29.03.2017 को प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रतिवादी संख्या 5 ने वादग्रस्त भूमि में से किला न. 6, 14, 15 की भूमि क्रय कर ली है और किला नं. 6 में बनी रिहायशी ढाणी से वादी को बेदखल करना चाहता है, इसलिए प्रतिवादी सख्या 5 को भी वाद में पक्षकार बनाया जा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत करके निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री किया जावेः

1. वाके चक 11 एल एन पी के खाता संख्या 68/64 मु.नं. 48 के किला नं. 4, 7 की 0.506 है. भूमि को पैतृक सम्पत्ति घोषित की जाकर वादी का चौथा हिस्सा घोषित किया जावे ।
2. यह कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से में आने वाली भूमि का कब्जा वादी को दिलाया जावे ।
3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश इस आशय का जारी किया जावे कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के किसी भाग को रहन, बैय व अन्य दीगर तरीके से हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे, खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में प्रदान करवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनांक 20.09.2017 जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उतरदातागण के पिताजी के नाम 0.741 हैक्टयर भूमि दर्ज होने के तथ्य स्वीकार है, शेष तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है वास्तविकता यह है कि चक 11 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 68/64 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4(0.253 है.(0.228 है. नहरी+ 0.025 है.खाला }), 6/3 (0.051 है.), 7(0.253 है.), 14/2(0.070 है.{ 0.013 गै.मु. रास्ता +0.057 है. नहरी }), 15/2(0.114 है. {0.101 है. नहरी + 0.013 है.गै.मु.रास्ता) कुल 0.741 हैक्टयर ((0.026 है. गै.मु.रास्ता + 0.690 है. नहरी + 0.025 है. कृषि भूमि}) कृषि भूमि उतरदातागण के पिताजी रतीराम पुत्र ईशरराम) के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उतरदातागण के पिताजी रतीराम के नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि में से वादी ने अपना हक प्राप्त कर लिया तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 6/3(0.051 है.), 14/2(0.070 है.), 15/2 (0.114 है.) कुल 0.235 है. नहरी मय रास्ता भूमि मैसर्स गोल्डन बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स श्रीगंगानगर जरिये साझेदार दुर्गाप्रसाद शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 4 एच एच, महियांवाली तहसील श्रीगंगानगर को विक्रय कर दी इसलिए वादी का उस सम्पति में कोई हक व अधिकार नहीं है इस मद में वादी द्वारा वर्णित शेष तथ्य गलत बयानी, बेबुनियाद व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 में कोई संयुक्त काश्त नहीं रही है बल्कि चक 11 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 68/64 के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.741 हैक्टयर (0.026 है. गै.मु.रास्ता + 0.690 है. नहरी + 0.025 है.कृषि भूमि}) कृषि भूमि उतरदातागण के पिताजी रतीराम पुत्र ईशरराम) के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उतरदातागण के पिताजी रतीराम के नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि में से वादी ने अपना हक प्राप्त कर लिया तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 6/3(0.051 है.), 14/2(0.070 है.), 15/2 (0.114 है.) कुल 0.235 है. नहरी मय रास्ता भूमि मैसर्स गोल्डन बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स श्रीगंगानगर जरिये सांझेदार दुर्गाप्रसाद शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 4 एच एच, महियांवाली तहसील श्रीगंगानगर को विक्रय कर दी तथा शेष 0.506 हैक्टयर भूमि उतरदातागण/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई जिसके उतरदाता संख्या 1 व 2 काबिज है इस 0.506 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अलावा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादी श्रवण कुमार ने रिहायशी ढाणी में रिहायश होने के तथ्य मिथ्या एवं मनगढ़त दावा को कानूनी रूप देने के लिए अंकित किये है कहीं भी काबिज नहीं एवं उक्त कृषि भूमि में वादी की कोई रिहायश नहीं है। वादी श्रवण कुमार ने अपने हक व हिस्सा बेचान करने का उतरदातागण के पिताजी रतीराम से

मैसर्स गोल्डन बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स श्रीगंगानगर से विक्रय हेतू सौदा तहरीर करवा दिया, जब उतरदातागण संख्या 1 व 2 ने घरेलू बंटवारा अनुसार प्राप्त हुई भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने से पूर्व सौदा करने में आपति जाहिर की तो वादी श्रवण कुमार ने माननीय न्यायालय में वाद संख्या 170/2016 बःअनवानी श्रवण कुमार बनाम रतीराम वगैरा प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद पत्र के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की। उतरदातागण एवं उतरदातागण के पिताजी उक्त वाद पत्र में हाजिर आए तथा वादी श्रवण कुमार के साथ पंचायत वा बिरादरी के मौतबिरान लोगो की मध्यस्थता में राजीनामा कर लिया तथा वादी श्रवण कुमार ने उतरदातागण एवं उतरदातागण के पिताजी से अपने समस्त हक व हिस्सा की कीमत तय करके उतरदातागण से अपना हक व हिस्सा की भरपायी नगद राशि, दो दुकानो की अचल सम्पति सहित मैसर्स गोल्डन बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, स्थित चेताली गेट के सामने, हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये भागीदार राधेश्याम से करवाकर अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर लिया है जिसके कारण वादी का शेष भूमि में कोई सरोकार व वास्ता नहीं रहा। उक्त वर्णित प्रकार से वादी द्वारा अपना समस्तहक व हिस्सा प्राप्त करने पर दिनांक 13/10/2016 को अपने द्वारा पेश वाद पत्र संख्या 170/2016 व इसके साथ पेश स्थगन प्रार्थना पत्र वापस ले लिया तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4 व 7 की 0.506 हैक्टयर कृषि भूमि उतरदाता संख्या 1 व 2 को घरेलू बंटवारा अनुसार प्राप्त हुई। उतरदातागण संख्या 1 व 2 अपने हिस्सा में आई उक्त भूमि के मालिक काबिज है। वादी श्रवण कुमार व उतरदातागण के पिताजी व उतरदाता के मध्य हुए समझौतानामा दिनांक 11/10/2016 की फोटो प्रति संलग्न है। उतरदाता संख्या 1 व 2 (आदराम व बलराम) को घरेलू बंटवारा अनुसार मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4 व 7 की 0.506 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्राप्त हुई जो उतरदाता संख्या 1 व 2 के हक व हिस्सा की होने के कारण उतरदातागण, उतरदाता संख्या 1 व 2 के नाम करवा रहे थे। इसी दरमियान दिनांक 04/08/2017 को उतरदातागण के पिताजी स्वर्गवास हो गये। उतरदातागण के पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद वादी श्रवणकुमार के मन में लालच व बेईमानी आ गई तथा बदनीयती से उतरदातागण के हक व हिस्सा के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4 (0.253 है.), 7(0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर कृषि भूमि को उतरदातागण के नाम करवाने से इन्कार कर दिया है जबकि वादी श्रवण कुमार को उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है तथा उक्त कृषि भूमि के मालिक व काबिज उतरदातागण है। उतरदातागण के भाई मदनलाल व उतरदातागण की बहनो केसरदेवी व प्रोमिला ने उतरदातागण के पिताजी के रतीराम के स्वर्गवास होने के बाद अपना हक व हिस्सा उतरदाता संख्या 1 व 2 के हक में परित्याग कर दिया क्योंकि पारिवारिक समझौताअनुसार उक्त 0.506 हैक्टयर कृषि भूमि उतरदाता संख्या 1 व 2 को प्राप्त हुई है लेकिन वादी श्रवण कुमार ने अपने नाम दर्ज 0.0844 हैक्टयर कषि भूमि उतरदातागण के नाम करवाने से साफ इन्कार कर दिया है तथा मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर अनुचित दवाब बनाकर उतरदातागण से उक्त हिस्सा हड़पना चाहता है। वादी श्रवणकुमार को दावा पेश करने का कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है तथा पूर्व में श्रीमान जी न्यायालय में वर्तमान दावा के तथ्यो पर आधारित वाद पेश कर जरिये समझौता निर्णित करवा लिये जाने के कारण पुनः वाद पेश करने के लिए वादी विबन्धित है। वादी ने मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर माननीय न्यायालय में वर्तमान वाद संख्या 153/2017 बाबत चक 11 एलएनपी खाता संख्या 68/64 मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4 व 7 की 0.506 हैक्टयर कृषि भूमि को पैतृक घोषित कर जाकर 1/4 हिस्सा घोषित करने तथा इसके हिस्से में आने वाली भूमि का कब्जा दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है जो वादी किसी प्रकार से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रतिदावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा में कथन किया कि चक 11 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 68/64 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4(0.253 है.0.228 है. नहरी+0.025 है.खाला}). 0.253 है.), कुल 0.506 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि उतरदातागण संख्या 1 व 2 (आदराम व बलराम) की है। उतरदातागण के पिताजी रतीराम के नाम दर्ज 0.741 हैक्टयर कृषि भूमि में से वादी ने अपना हक व हिस्सा प्राप्त किया हुआ है तथा 0.235 हैक्टयर कृषि उतरदातागण के पिताजी के जीवनकाल में ही विक्रय की हुई है शेष मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 4 व 7 की 0.506 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि उतरदाता संख्या 1 व (आदराम व बलराम) को घरेलू बंटवारा अनुसार प्राप्त हुई होने के कारण एवं उतरदाता 1 व 2 के हक व हिस्सा की होने के कारण उतरदातागण के पिताजी रतीराम,

उतरदातागण के नाम करवा रहे थे इसी दरमियान दिनांक 04/08/2017 को उतरदातागण के पिताजी स्वर्गवास हो गये। उतरदातागण के पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद वादी श्रवणकुमार के मन में लालच व बेईमानी आ गई तथा बदनीयती से उतरदातागण के हक व हिस्सा के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4 (0.253 है.), 7(0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर कृषि भूमि को उतरदातागण के नाम करवाने से इन्कार कर दिया है. जबकि वादी श्रवण कुमार को उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है तथा उक्त कषि भूमि के मालिक व काबिज उतरदातागण है। उतरदातागण के भाई मदनलाल व उतरदातागण की बहनो केसरदेवी व प्रोमिला ने उतरदातागण के पिताजी के रतीराम के स्वर्गवास होने के बाद अपना हक व हिस्सा उतरदाता संख्या 1 व 2 के हक में परित्याग कर दिया क्योंकि पारिवारिक समझौताअनुसार उक्त 0.506 हैक्टयर कृषि भूमि उतरदाता संख्या 1 व 2 को प्राप्त हुई है लेकिन वादी श्रवण कुमार ने अपने नाम दर्ज 0.0844 हैक्टयर कृषि भूमि उतरदातागण के नाम करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर अनुचित दवाब बनाकर उतरदातागण से उक्त हिस्सा हड़पना चाहता है। वादी श्रवण कुमार ने, उतरदातागण से, उतरदातागण के पिताजी रतीराम के जीवनकाल में हक व हिस्सा प्राप्त कर लेने के कारण उक्त कृषि भूमि में कोई हकदार नहीं है। उतरदातागण अपने हक व हिस्सा की भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। वादी श्रवण कुमार उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है तथा बदमाश प्रवृति के लोगो से मिलीभगती करके उतरदातागण के कब्जा में दखलन्दाजी करने की फिराक में है जबकि उतरदातागण विधितः उक्त कृषि भूमि के काबिज है तथा उक्त कृषि भूमि को, उतरदातागण घोषित करवाने के अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 24/08/2017 को पारिवारिक समझौता अनुसार उतरदातागण को प्राप्त हुई भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से वादी श्रवण कुमार द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार करने एवं मौजूदा वाद मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर प्रस्तुत करने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को वादी के खिलाफ मौजूदा काउन्टर क्लेम बाबत वादी के नाम दर्ज हुई 0.0844 हैक्टयर कृषि भूमि उतरदातागण की घोषित का वाद हेतूक प्राप्त हुआ । उतरदातागण अपने स्वामित्व की कृषि भूमि घोषित करवाने हेतू काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने के विधिक अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए काउन्टर क्लेम सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है एवं माननीय न्यायालय उक्त अनुतोष प्रदान करने में सक्षम है। लिहाजा जवाबदावा मय शपथ पत्र एवं काउन्टर क्लेम के प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर निम्न अनुतोष प्रदान किया जावे :

1. चक 11 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 68/64 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4 व 7 की 0.506 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में दर्ज विरास्तन इन्तकाल संख्या 697 दिनांक 21/08/2017 द्वारा वादी (श्रवणकुमार पुत्र रतीराम) के नाम दर्ज हुई 0.0844 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (आदराम, बलराम पिसरान रतीराम कौम कुम्हार निवासीयान ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) की घोषित की जावे।
2. उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।
3. स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि वादी (श्रवण कुमार), प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के कब्जा करत तथा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से दखलन्दाजी कारित नहीं करे।
4. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के द्वारा दिनांक 16.08.2018 को जवाब दावा पेश या गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वादी के दादा के आठ पुत्र व दो पुत्रीयां थी व उनका 11 एल.एन.पी के मुरब्बा नम्बर 48 में 13 बीघा 19 बिस्वा रकबा था। श्री रतीराम के 11 एल.एन.पी में 0.7410 हैक्टयर रकबा होना स्वीकार है। वादी ने जानबूझकर दावा में कारण पैदा करने के लिए यह तथ्य दर्ज किये है। वादी ने श्रीमान जी न्यायालय में वाद या 170/2016 प्रस्तुत कर 0.741 हैक्टयर भूमि में अपना हक व हिस्सा की मांग की जो ना वादी को पारिवारिक राजीनामा अनुसार दे दिया जिस पर वादी ने वाद वापस ले अब पुनः वादी ने मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर वाद पेश किया है जो काबिले निरस्ती

है। वादी का इस 0.7410 हैक्टयर रकबा पर कब्जा काश्त नहीं रही है. उक्त रकबा पर प्रतिवादी संख्या 2 आदराम, प्रतिवादी संख्या 3 बलराम ही काबिज थे। वादी कभी भी उक्त रकबा में ढ़ाणी बनाकर नहीं रहा। वादी द्वारा अपना हक व हिस्सा विक्रय कर दिया था बाकी का हिस्सा आदराम व बलराम का रहा अन्य तथ्य वादी ने मनगढ़त झूठे व बेबुनियाद दर्ज किये है। वादी श्रवण कुमार ने अपना हक व हिस्सा प्राप्त किया हुआ है। वादी श्रवण कुमार द्वारा जानबूझकर मिथ्या तथ्य दर्ज किये है हम प्रतिवादीगण द्वारा अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा अन्तरित किया है। जिसमें वादी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। जब तक सक्षम अदालत द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबरदारी का शुन्य व निष्प्रभावी घोषित नही करवा दिया जाता तब तक वादी उक्त रकबा में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। हम प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई वाद कारण पैदा नही है। इस कारण दावा इसी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है। चक 11 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 68/64 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4(0.253 है. 0.228 है. नहरी+0.025 है.खाला}). 7(0.253 है.), कुल 0.506 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि (आदराम व बलराम) की है। उतरदातागण के पिताजी रतीराम के नाम दर्ज 0.741 हैक्टयर कृषि भूमि में से वादी ने अपना हक व हिस्सा प्राप्त किया हुआ है तथा 0.235 हैक्टयर कृषि भूमि उतरदातागण के पिताजी के जीवनकाल में ही विक्रय की हुई है शेष मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4 व 7 की 0.506 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि (आदराम व बलराम) को घरेलू बंटवारा अनुसार प्राप्त हुई होने के कारण आदराम व बलराम के हक व हिस्सा की होने के कारण उतरदातागण के पिताजी रतीराम, उतरदातागण के नाम करवा रहे थे इसी दरमियान दिनांक 04/08/2017 को उतरदातागण के पिताजी स्वर्गवास हो गये। उतरदातागण के पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद वादी श्रवणकुमार के मन में लालच व बेईमानी आ गई तथा बदनीयती से उतरदातागण के हक व हिस्सा के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4(0.253 है.), 7(0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर कृषि भूमि को उतरदातागण के नाम करवाने से इन्कार कर दिया है जबकि वादी श्रवण कुमार को उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 12.10.2018 को जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार – <u>प्रारम्भिक आपतियां</u>

(क) यहकि वादी श्रवण कुमार ने श्रीमान जी न्यायालय में वर्तमान वाद में वर्णित तथ्यो पर आधारित वाद संख्या 170/2016 दिनांक 01/09/2016 प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद पत्र के साथ एक स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया। वादी द्वारा पेश किया गया वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र वादी ने बरूवे राजीनामा दिनांक 13/10/2016 को निस्तारित करवा लिया इसलिए वादी पुनः उन्ही तथ्यो के आधार पर श्रीमान जी न्यायालय में वाद पत्र पेश करने से प्रतिबन्धित है तथा श्रीमान जी न्यायालय भी पुनः उक्त वाद ग्रहण करने एवं श्रवण करने में सक्षम नहीं है इसलिए वाद पत्र काबिले निरस्ती है।

(ख). यहकि वादी श्रवण कुमार ने क्लीन हैण्ड से वाद पेश नहीं किया है बल्कि वादी ने, प्रतिवादी संख्या 2 आदराम व प्रतिवादी संख्या 3 बलराम को पारिवारिक विभाजन में प्राप्त हुई भूमि में दखलन्दाजी करने की दुराशय से उक्त वाद मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर पेश किया है। वादी नेकनीयत नहीं है। वादी को वाद पेश करने का कोई वाद कारण हासिल नहीं है।

(ग) यहकि वादी श्रवण कुमार, झगड़ालू व जिद्दी प्रवृति का है जो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से द्वेश रखता है। वादी ने चक 11 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 68/64 के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.741 हैक्टयर (0.026 है. गै.मु.रास्ता + 0.690 है. नहरी + 0.025 है.कृषि भूमि}) कृषि भूमि में अपना हक तरक कर लिया तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 6/3(0.051 है.), 14/2(0.070 है.), 15/2 (0.114 है.) कुल 0.235 है. नहरी मय रास्ता भूमि मैसर्स गोल्डन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स श्रीगंगानगर जरिये साझेदार दुर्गाप्रसाद शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 4 एच एच, महियांवाली तहसील श्रीगंगानगर को विक्रय कर दी तथा शेष 0.506 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई जिसके प्रतिवादी संख्या

1 व 2 काबिज है इस 0.506 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अलावा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं है ववाद पत्र का पैरावाईज जवाब निम्न प्रकार है :यहकि वाद पत्र की मद संख्या 1 वादी के नाम व पता से सम्बन्धित है जो स्वीकार है। यहकि वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वंशावली अधुरी वर्णित की गई है जो स्वीकार नहीं वाद पत्र की मद संख्या 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। 4. यहकि वाद पत्र की मद संख्या 4 में मन उतरदाता के पिताजी के नाम 0.741 हैक्टयर भूमि दर्ज होने के तथ्य स्वीकार है। चक 11 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.741 हैक्टयर ((0.026 है. गै.मु. रास्ता + 0.690 है. नहरी + 0.025 है. कृषि भूमि}) कृषि भूमि मन उतरदातागण के पिताजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसमें वादी ने अपना हक प्राप्त कर लिया तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 6/3(0.051 है.), 14/2(0.070 है.), 15/2 (0.114 है.) कुल 0.235 है.नहरी मय रास्ता भूमि मैसर्स गोल्डन बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स श्रीगंगानगर जरिये साझेदार दुर्गाप्रसाद शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 4 एच एच, महियांवाली तहसील श्रीगंगानगर को विक्रय कर दी इसलिए वादी का इस सम्पति में कोई व हिस्सा रहा है। वादी ने श्रीमान जी न्यायालय में वाद संख्या 170/2016 प्रस्तुत कर 0.741 हैक्टयर भूमि में अपना हक व हिस्सा की मांग की जो हिस्सा वादी को पारिवारिक राजीनामा अनुसार दे दिया जिस पर वादी ने वाद वापस ले लिया अब पुनः वादी ने मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर वाद पेश किया है जो काबिले निरस्ती है। वाद पत्र की मद संख्या 5 वादी द्वारा जिस तरह से वर्णित की गई है मिथ्या व कपोल कल्पित होने के कारण अस्वीकार है। वादी कहीं भी काबिज नहीं है एवं उक्त कृषि भूमि में वादी की कोई ढाणी नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 6 में वादी द्वारा वर्णित तथ्य गलत ब्यानी, मिथ्या व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार है। वादी श्रवण कुमार ने पंचायत वा बिरादरी के मौतबिरान लोगो की मध्यस्थता में राजीनामा करके वादी श्रवण कुमार ने, अपना समस्त हक व हिस्सा की कीमत तय करके अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर लिया है जिसके कारण वादी का शेष भूमि में कोई सरोकार व वास्ता नहीं रहा। वाद पत्र की मद संख्या 7 में दर्ज तथ्य मिथ्या व गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादी श्रवण कुमार ने उतरदाता संख्या 1 व 2 (आदराम व बलराम) को घरेलू बंटवारा अनुसार प्राप्त हुई मरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4 व 7 की 0.506 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में पुनः हक व हिस्सा लेने के लिए वास्तविकता को छिपाकर, मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर पुनः दावा पेश किया है। वादी श्रवण कुमार को उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। मन उतरदाता व हमारी बहनो केसरदेवी व प्रोमिला ने पारिवारिक समझौताअनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्राप्त हुई भूमि 0.506 हैक्टयर कृषि भूमि इनके नाम करवा दी है लेकिन वादी श्रवण कुमार ने साफ इन्कार कर दिया है तथा मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर अनुचित दवाब बनाकर उतरदातागण से और हिस्सा हड़पना चाहता यहकि वाद पत्र की मद संख्या 8 में दर्ज तथ्य मिथ्या व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार है वादी श्रवणकुमार ने चक 11 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के नहरी + 0.025 है.कृषि भूमि}) कृषि भूमि में अपना हक प्राप्त कर लिया तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 6/3(0.051 है.), 14/2(0.070 है.), 15/2 (0.114 है.) कुल 0.235 है. नहरी मय रास्ता भूमि मैसर्स गोल्डन बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स श्रीगंगानगर जरिये साझेदार दुर्गाप्रसाद शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 4 एच एच, महियांवाली तहसील श्रीगंगानगर को विक्रय कर दी तथा शेष 0.506 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई जिसके प्रतिवादी संख्या 1 व 3 काबिज है इस 0.506 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अलावा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादी का दावा काबिले निरस्ती है। वादी श्रवण कुमार ने पूर्व में हक व हिस्सा प्राप्त कर लेने के कारण उक्त कृषि भूमि में हिस्सा प्राप्त करने हकदार नहीं है। वादी वाद पत्र में मांगा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद संव्यय खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात विरचित की गई–

आया कि वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित 0.740 हैक्टर भूमि पैतिक सम्पति है, जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है ?

– – वादी

आया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

– – वादी

3. आया कि वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किया गया वाद संख्या 170/2016 राजीनामा के आधार पर वापिस ले लिया गया तो उसका मौजूदा वाद पर क्या प्रभाव है ?

— — प्रतिवादी संख्या 2 व 3

4. आया कि वादी ने राजीनामा से अपने पिता से अपना तमाम हक व हिस्सा प्राप्त कर लिया तो उसका इस वाद पर क्या प्रभाव है ?

— — — प्रतिवादी संख्या 2 व 3

5. आया कि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 21.08.2017 को निरस्त करवाकर वादी श्रवणकुमार के नाम से दर्ज 0.0844 हैक्टर भूमि अपने नाम से खातेदारी घोषित करवा पाने के अधिकारी है ?

— — प्रतिवादी संख्या 2 व 3

6. आया कि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 काऊन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों के आधार पर निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

— — प्रतिवादी संख्या 2 व 3

7. अनुतोष

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पूर्व में जवाब काउंटरक्लेम का जवाब प्रस्तुत करने रह जाने से जवाब काउंटरक्लेम प्रस्तुत करते हुए जवाब काउंटरक्लेम को पत्रावली पर लिया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब काउंटरक्लेम को रिकार्ड पर लिया जाकर वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत काउंटर कलेम का जवाब प्रस्तुत किया काउंटरक्लेम में अंकित तथ्यानुसार काउंटर क्लेम का पैरा संख्या 10 जिस प्रकार से अंकित किया गया है स्वीकार नहीं है। इस पैरा में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादी के द्वारा अपना हक व हिस्सा प्राप्त करना गलत दर्ज किया है। वादी ने कोई हिस्सा प्राप्त नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि विक्रय की थी, उस कीमत से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने नाम भूमि चक 12 के. वाई.डी तहसील खाजूवाला में 51 बीघा भूमि क्रय की है। दरः पैरा में मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 4 व 7 की 2 बीघा भूमि आदराम व बलराम को घरेलू बंटवारा मे प्राप्त होना गलत अंकित किया है ऐसा कोई बंटवारा नहीं हुआ था। प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त हो स्वीकार है और प्रतिवादी संख्या 1 की कुल भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कुल वारिसान को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान केसरी देवी व प्रोमिला व मदन लाल ने बेरास्तन अपनी भूमि शेष वारिसान के पक्ष मे छोड दी है इस प्रकार इस खाता में केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 दोनो की बहिस्सा बराबर के हकदार हुए है परन्तु प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने होशियारी व चालाकी वश केसरी देवी, प्रोमिला व मदन लाल से दस्तबरदारी अपने हक में लाभ विरूद्ध तहरीर करवा ली। कानूनन कोई एक हिस्सेदार अपना हिस्सा केसी और वार को नहीं दे सकता है और शेष सभी हिस्सेदारान को ही दिया हुआ माना जाता है। ऐसी सूरत में दस्तबरदारी विधि विरूद्ध है और वादी के हितो पर शुरू से ही शून्य व प्रभावहीन दस्तावेज है। इस पैरा में बादी पर गलत आरोप लगाये गये है। वादी कृषक पेशा व शांतिप्रिय व्यक्ति है। काउंटर क्लेम के पैरा संख्या 11 जिस प्रकार से दर्ज किया गया है गलत होने से स्वीकार नहीं है दिनांक 24–08–2017 को ऐसा कोई पारिवारिक समझौता नहीं हुआ और न प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को कोई वादकारण प्राप्त है। वादी 0.0844 हैक्टयर के साथ साथ दस्तबरदारी से प्राप्त भूमि का भी हकदार व दावेदार भी है प्रतिवादी ने दस्तबरदारी का इंतकाल विधि विरूद्ध अपने नाम करवाया है जो खारिज होने योग्य हैं। दस्तबरदारी संलग्न जवाब है। 3. यह कि वाद पत्र का पैरा संख्या 12 में भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित होना स्वीकार है परन्तु प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम मे ना तो पाबन्दी प्रस्तुत की हैं और न सभी को पक्षकार बनाया हैं। अनुतोष मद क, ख, ग, घ, ड इंकारी है। अतः जवाब काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है। काउंटर क्लेम मय खर्चा प्रतिवादी खारिज फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब काउंटरक्लेम के आधार पर तनकी संख्या 8 कायम की गयी –

आया कि केसरी देवी, प्रोमिला व मदन लाल के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित दस्तबरादी शून्य व प्रभावहीन दस्तोवज है एवम् वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 कुल भूमि के खातेदार हैं।

— — वादी

वादी द्वारा बार बार साक्ष्य वादी हेतु समय चाहने एवं साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं करने पर वादी को साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी में दिनांक 05.07.2019 को वादी श्रवण कुमार का साक्ष्य शपथ पत्र PW–1 प्रस्तुत किया गया। दिनांक 21.08.2019 को साक्ष्य वादी में गवाह से जिरह कर जमाबंदी प्रदर्श–1, जमाबंदी प्रदर्श–2, जमाबंदी प्रदर्श–3, मूल दस्तबरदारी प्रदर्श–4, विद्युतविभाग का बिल प्रदर्श–5 एवम् राजस्व वाद संख्या 170/2016 बअनवान श्रवण कुमार बनाम रतीराम वगैरह के दावा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–1, आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–2, 212 आर.टी.ए. एक्ट के प्रार्थना पत्र की नकल प्रदर्श ए–3, आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–4, मुकदमा को राजीनामा के आधार पर खारिज करवाने का प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–5, प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 198/2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–6, दुकान नं. 14,15 राजीनामा से प्राप्त करना दस्तावेज प्रदर्श ए–7, अपने हिस्से की राशि एवम् दुकान प्राप्त करने का कथन प्रदर्श ए–8 , वादी के पक्ष में निष्पादित बैयनामा में प्रदर्श ए–9 व 10, एवम् प्रदर्श ए–11 ता प्रदर्श ए–12 प्रदर्शित करवाये जाकर बयान पूर्ण किय गये। साक्ष्य वादी में और गवाह प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह आदराम के बयान DW–1 से जिरह कर बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह से जिरह कर प्रदर्श ए–1 से प्रदर्श ए–13 कर प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादी के बयान पूर्ण किये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभ्यपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टिांतों का ससमान अध्ययन किया गया। विरचित किये गये तनकी पर न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या 1 :– आया कि वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित 0.740 हैक्टर भूमि पैतिक सम्पति है, जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है ?

– – वादी

प्रदर्श–3 जमाबंदी ग्राम पंचायत 11 एलएनपी पटवार संकिल 11 एलएनपी सम्वत् 2036 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत आराजी मु.नं. 48 के किला नं. 1 ता 16 वादी के दादा व प्रतिवादी के पिता ईश्वर पुत्र लेखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। **प्रदर्श–8ए** में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत आराजी अपने पिता ईश्वरराम से आना अभिलिखित किया है। इसी प्रकार जिरह प्रतिवदी संख्या 2 आदराम ने भी प्रश्नगत आराजी पूर्व में अपने दादा ईशरराम के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है।

इससे यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी 2 ता 4 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ईश्वरराम पुत्र लेखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जो बाद में विरास्तन रूप से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। **प्रदर्श–ए–7** इकरारनामा बाबत बेवाकी दिनांक 11.10.2016 में वादी श्रवण कुमार ने यह स्वीकार किया है के वादग्रस्त आराजी में उसके अपने हिस्से का समस्त हिसाब चुकता हो गया है।

प्रदर्श–ए8ए इकरारनामा बाबत बेवाकी समझौता दिनांक 11.10.2016 जिस पर वादी के हस्ताक्षर ''ए से बी'' अंकित है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 ''सी से डी'' एवं प्रतिवादी संख्या 2 ''जी ता एच'', प्रतिवादी संख्या 5 ''एम ता एन'' सहित दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं। जिसमें यह उल्लेखित है कि वादी द्वारा उसके हक हिस्से की भरपाई नगद राशि व दो दुकानों की अचल सम्पत्ति सहित मैसर्स गोल्डन बिल्डर्स व डवलपर्स, श्रीगंगानगर जरिए हिस्सेदार राधेश्याम के करवा कर उसका हिस्सा प्रथम पक्ष (प्रतिवादी 1) से द्वितीय पक्ष (वादी) को कब्जा दिया गया है एवं द्वितीय पक्ष(वादी) का इस भूमि में कोई हक नहीं रहेगा।

इसके साथ ही वादी की बहिनों– प्रतिवादी संख्या 1/1 एवं 1/2 ने अपने जवाब दावा में अभिकथन किये हैं कि वादग्रस्त आराजी में वादी द्वारा अपना हक हिस्सा का पूर्व में प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। गवाह प्रतिवादी संख्या 2 आदराम ने अपने शपथ पत्र व जिरह में वादी द्वारा अपना हक पूर्व में प्राप्त करना कथन किया है।

समग्र विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी के दादा ईशरराम के नाम दर्ज थी जो ईशरराम की मृत्यु उपरान्त विभाजन में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रतिराम के नाम दर्ज हुई। वादी द्वारा वादगस्त आराजी में अपने पिता रतीराम के जीवनकाल में ही अपना एक हिस्से व भूमि चक 11 एलएनपी के खाता संख्या 68/64 में मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.741 हैक. नहरी में से चौथे हिस्से की मलकियत मयकब्जा का बेचान कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया था। अतः वादी वादग्रस्त आराजी में पैतृक सम्पत्ति के आधार पर इसमें अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं रहा। अतः तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

– – वादी

तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है। चंकि वादी वादग्रसत आराजी में पूर्व में मुताबिक राजीनामा प्रतिफल प्राप्त कर चुका है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी में पैतृक सम्पत्ति के आधार पर इसमें अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं रहा। अतः तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी में निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर था। जिसमें वह असफल रहा। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया कि वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किया गया वाद संख्या 170/2016 राजीनामा के आधार पर वापिस ले लिया गया तो उसका मौजूदा वाद पर क्या प्रभाव है ?

– – प्रतिवादी संख्या 2 व 3

यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी द्वारा पूर्व में इसी न्यायालय में एक वाद संख्या 170/2016 बअनवानी श्रवण कुमार बनाम रतीराम वगैरह अन्तर्गत धारा 53, 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था। जिसमें वादी ने वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा था। वाद की आदेशिका दिनांक 13.10.2016 **(प्रदर्श ए2)** में अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा राजीनामा के आधार पर वादी को विड्रा किया गया था। **प्रदर्श ए–7–ए** इकरारनामा बाबत बेवाकी दिनांक 11.10.2016 जिस पर "ए ता बी" वादी श्रवण कुमार के हस्ताक्षर हैं। इसमें वादी द्वारा समस्त हिसाब लेकर वाद व स्टे विड्रा करने सम्बन्धी बयान है। इकरारनामा दिनांक 11.10.2016 का है एवं पूर्ववर्ती वाद संख्या 170/2016 दिनांक 13.10.2016 को विड्रा कर लिया गया। इससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि वादी द्वारा मुताबिक राजीनामा प्रतिफल प्राप्त करके वाद व स्टे विड्रा केये गये।

वादी अपने द्वारा किये इकरारनामा के कथनों से बाध्य है। अब वह उन्हीं आधारा पर या वाद दाखिल नहीं कर सकता। इस प्रकार से वादी वाद हाजा के अनुतोष प्राप्त करने अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

नकी संख्या 4 :– आया कि वादी ने राजीनामा से अपने पिता से अपना तमाम हक व हिस्सा प्राप्त कर लिया तो उसका इस वाद पर क्या प्रभाव है ?

– – प्रतिवादी संख्या 2 व 3

इकरारनामा बाहमी समझौता दिनांक 11.10.2016 जिस पर वादी के हस्ताक्षर "ए से अंकित है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 "सी से डी" एवं प्रतिवादी संख्या 2 "जी ता एच", तिवादी संख्या 5 "एम ता एन" सहित दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं। इसमें यह उल्लेखित है वादी द्वारा उसके हक हिस्से की भरपाई नगद राशि व दो दुकानों की अचल सम्पत्ति हित मैसर्स गोल्डन बिल्डर्स व डवलपर्स, श्रीगंगानगर जरिए भागीदार राधेश्याम को करवा

कर उसका हिस्सा प्रथम पक्ष (प्रतिवादी 1) से द्वितीय पक्ष (वादी) को कब्जा दिया गया है एवं द्वितीय पक्ष (वादी) का इस भूमि में कोई हक नहीं रहेगा।

इसके साथ ही वादी की बहिनों–प्रतिवादी संख्या 1/1 एवं 1/2 ने अपने जवाब दावा में अभिकथन किए हैं कि वादग्रस्त आराजी में वादी द्वारा अपना हक हिस्सा का पूर्व में प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। गवाह प्रतिवादी संख्या 2 आदराम ने अपने शपथ पत्र व जिरह में वादी द्वारा अपना हक पूर्व में प्राप्त करना कथन किया है।

समग्र विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी के दादा ईशरराम के नाम दर्ज थी जो ईशरराम की मृत्यु उपरान्त विभाजन में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रतिराम के नाम दर्ज हुई। वादी द्वारा वादगस्त आराजी में अपने पिता रतीराम के जीवनकाल में ही अपना एक हिस्से व भूमि चक 11 एलएनपी के खाता संख्या 68/64 में मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 0.741 हैक. नहरी में से चौथे हिस्से की मलकियत मयकब्जा का बेचान कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया था।

अतः जब वादी अपने पिता के जीवन काल में अपना हक हिस्सा प्राप्त कर चुका है तो वह शेष आराजी में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया कि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 नामान्तरकरण संख्या 697 दिनांक 21.08.2017 को निरस्त करवाकर वादी श्रवणकुमार के नाम से दर्ज 0.0844 हैक्टर भूमि अपने नाम से खातेदारी घोषित करवा पाने के अधिकारी है ?

– – प्रतिवादी संख्या 2 व 3

तनकी संख्या 3 एवं 4 प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी में वादी का पिता रतीराम प्रतिवादी संख्यसा 1 के जीवनकाल में ही अपना हक हिस्सा प्राप्त कर चुका है। **प्रदर्श ए13** से यह प्रकट होता है कि रतीराम की फौतगी के पश्चात् उसमें छः वादीगण में से केसरी देवी(1/1), प्रमिला देवी (1/2) एवं मदन लाल (प्रतिवादी संख्या 4), अपना हक प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया। विरास्तन इंतकाल संख्या 697 दिनांक 21.08.2012 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 रतीराम की 0.506 हैक्टर आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हुई। वादी अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 रतीराम के जीवनकाल में ही अपना हक हिस्सा ले चुका है इसलिए रतीराम की 0.506 हैक्टर आराजी में उसका कोई हक हिस्सा नहीं बनता। अतः विरास्तन इंतकाल संख्या 697 द्वारा वादी के नाम 0.0844 हैक्टर आराजी प्रतिवादीगण 2 ता 3 अपने नाम करवाने के अधिकारी हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 :– आया कि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 काऊन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों के आधार पर निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

– – प्रतिवादी संख्या 2 व 3

तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पर था । प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने बयानो में की गई जिरह में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का इन्तकाल सम सब भाई बहिनों में हो गया। रतीराम की पुत्रियों केसरी देवी(1/1), प्रमिला देवी (1/2) एवं मदन लाल (प्रतिवादी संख्या 4), अपना हक प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 रतीराम के जीवनकाल में ही अपना हक हिस्सा ले चुका है इसलिए रतीराम की 0.506 हैक्टर आराजी में उसका कोई हक हिस्सा नहीं बनता। अतः विरास्तन इंतकाल संख्या 697 द्वारा वादी के नाम 0.0844 हैक्टर आराजी प्रतिवादीगण 2 ता 3 अपने नाम करवाने के अधिकारी उक्त भूमि पर स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 8 :– आया कि केसरी देवी, प्रोमिला व मदन लाल के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित दस्तबरादी शून्य व प्रभावहीन दस्तावेज है एवम् वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 कुल भूमि के खातेदार हैं।

– – वादी

रतीराम की मृत्यु दिनांक 04.08.2017 हो हुई। **प्रदर्श ए 13** के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह एक पंजीकृत दस्तावेज है। जिसके द्वारा रतीराम की पुत्रियों केसरी देवी(1/1), प्रमिला देवी (1/2) एवं मदन लाल (प्रतिवादी संख्या 4), अपना हक प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी द्वारा इस पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 16.08.2017 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। हिन्दू महिला अपनी सम्पत्ति की पूर्ण स्वामी होती है। अतः यह दस्तबरदारी किस प्रकार से शून्य एवं प्रभावहीन है इसे साबित करने में वादी असफल रहा है। वादी वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्सा अपने पिता के जीवनकाल में ही प्राप्त कर लिया। अतः वादी वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवा सकता। इस सभी को साबित करने का भार वादी पर था जिसमें वह असफल रहा। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

अनुतोष –

तनकी संख्या 1, 2, 8 को साबित करने का भार वादी पर था जिसे साबित करने में वादी असफल रहा। ऐसी दशा में वादी इस वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। तनकी संख्या 3, 4, 5 व 6 को साबित करने में प्रतिवादीगण सफल रहे। जिससे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 काउंटरक्लेम में चाहे गये अनुतोष अनुसार विरास्तन इंतकाल संख्या 697 द्वारा वादी के नाम 0.0844 हैक्टर आराजी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपने नाम करवाने के अधिकारी हैं। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मुताबिक काउंटरक्लेम अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी बाबत कृषि भूमि वाके चक 11 एलएनपी खाता संख्या 68/64 मु.नं. 48 किला नं. 4, 7 की 0.506 हैक. भूमि के विभाजन घोषणा व रेंट के वितरण साबित न हो पाने के कारण खारिज किया जाता है एवम् काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 2 व 3 स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि चक 11 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 68/64 में मुताबिक दर्ज विरास्तन इन्तकाल संख्या 697 दिनांक 21/08/2017 द्वारा वादी (श्रवणकुमार पुत्र रतीराम) के नाम दर्ज हुई 0.0844 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (आदराम, बलराम पिसरान रतीराम कौम कुम्हार निवासीयान ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया।

12.03.20

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर